

(निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली, 2011 के नियम-17 के उप
नियम (5) के अन्तर्गत)

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल

ई-मेल-ceonainital11@gmail.com

फैक्स/दूरभाष-05942-248469

पत्रांक- मान्यता- आर.टी.ई./2905-00/अंग्रेजी मा.(नवीन)/2019-20 दिनांक- 14-0-19

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबन्धक,
बिड़ला विद्यामन्दिर, नैनीताल वि०ख० भीमताल
जनपद-नैनीताल।

विषय- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के
प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के नियम
17 के उप नियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक-21.05.2019 एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा
अधिकारी, के कार्यालय भीमताल के पत्रांक-173-74/मान्यता/17-18 दिनांक-29.05.2019 द्वारा
प्राप्त तथा दिनांक-27.05.2019 द्वारा किये गये निरीक्षण उपरान्त आपके विद्यालय बिड़ला
विद्यामन्दिर, नैनीताल को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक विद्यालय संचालन हेतु शैक्षणिक सत्र 2019-20 से
आगामी पांच वर्ष (दि० 01.04.2019 से दिनांक-31.03.2024 तक) के लिए मान्यता की स्वीकृति
प्रदान की जाती है। स्वीकृति शासनादेशों में प्रख्यापित नियमों/उप नियमों के अनुपालन के अर्धन
होगी:-

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एवं
अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से
सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का
नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं शिक्षा से वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा
उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा परन्तु यह कि
यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है तो इस मानक का अनुपालन
पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. उपरोक्त कम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय का निःशुल्क एवं अनिवार्य
बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि
की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग
से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं
किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का
साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि
के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें किसी एक कारण के
आधार पर मना नहीं करेगा।
7. विद्यालय द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे:-
(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा
और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से
निष्कासित किया जाएगा।

28
मुख्य शिक्षा अधिकारी
नैनीताल



Principal
Birla Vidya Mandir
Nainital-263 001 (Uttarakhand)

- (दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
- (तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (पांच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- (छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, इस संबंध में समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।
- (सात) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वाहन करेंगे।
- (आठ) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गति विधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मापदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी की आख्या के अनुसार औपबन्धिक मान्यता प्रदान की जा रही है। मानकों उल्लंघन पाये जाने पर मान्यता का प्रत्याहरण किया जायेगा।
- विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल- 179397 वर्ग मी.
 - कुल निर्मित क्षेत्र- 22268 वर्ग मी.
 - खेल का मैदान- 04 75000,20000,54450,9600,वर्ग मी.
 - कक्षा-कक्षाओं की कुल संख्या- 12
 - प्रधानाध्यापक कक्ष/सह भण्डार- 02
 - बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय- 120 बालक 07 बालिका
 - पेयजल सुविधा- है।
 - मध्याह्न भोजन के लिए रसोई- है।
 - बाधा रहित- है।
 - शिक्षण अधिगम सामग्री/खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्ध है।
11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं किया जायेगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन /संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक हेतु नहीं किया जाएगा।
13. विद्यालय सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860(1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के अन्तर्गत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
नैनीताल:

J. Kumar
Principal

Birla Vidya Mandir
Nainital-263 001 (Uttarakhand)

(3)

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियामक के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आर्बिट्रित मान्यता कोड संख्या- 02/2019 है। इस को कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाये।
17. राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय समय पर मांगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. विद्यालय द्वारा गरीब छात्रों के सहायतार्थ बुक बैंक की स्थापना की जायेगी।
20. परिशिष्ट-चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
21. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
22. बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय तथा शासन/विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय
2018-19
(के0के0गुप्ता)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
नैनीताल।

पु0सं0: मान्यता- आर.टी.ई. / 1008 / अंग्रेजी मा.(नवीन) / 2018-19 दिनांक-उक्तवत्

- प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूवनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
23. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 24. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रार0शि0) कुमायूं मण्डल नैनीताल।
 25. जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा) नैनीताल।
 26. खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी, भीमताल।

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।


Principal
Birla Vidya Mandir
Nainital-263 001 (Uttarakhand)